

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(24)एम.ई. / गुप-1 / 2021

जयपुर, दिनांक: 3/11/2021

संशोधित आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.09.2021 के द्वारा विभिन्न विशिष्टताओं में वरिष्ठ प्रदर्शक के पद पर नवनियुक्त अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के निवेदन पर विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12.10.2021 के द्वारा कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि प्रदान की गई थी। उक्त आदेश में क्र.सं. 15 पर अंकित नाम डॉ. सुमन कुमारी के सम्मुख अंकित विशिष्टता में माइक्रोबायोलोजी व पदस्थापन स्थान मेडिकल कॉलेज, कोटा के स्थान पर संशोधित कर पैथोलोजी व मेडिकल कॉलेज, जोधपुर पढ़ा जावे।

समसंख्यक आदेश दिनांक 12.10.2021 का शेष समस्त विवरण यथावत रहेगा।

आज्ञा से,

11
3/11/2021
(सुनील शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कोटा/जोधपुर।
4. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. डॉ. सुमन कुमारी पुत्री श्री ताराचन्द, ए-314, हनवन्त स्कूल के सामने, शास्त्र नगर, जोधपुर (राज.)- 342003 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
6. रक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सोनी)
उप शासन सचिव